न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 80 / 2023 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/112

1. प्रकाशचन्द्र सालवी पिता स्व. श्री भेरा जी सालवी निवासी भैसडा कला तहसील गिर्वा हाल निवासी दक्षिणी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
2. नन्दलाल सालवी पिता स्व. श्री श्री भेरा जी सालवी निवासी भैसडा कला तहसील गिर्वा हाल निवासी दक्षिणी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. श्रीमती मंजुदेवी सालवी पत्नी स्व श्री मदनलाल जी सालवी निवासी भैसडा कला तहसील गिर्वा हाल निवासी दक्षिणी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
4. भावना सालवी पुत्री स्व श्री मदनलाल जी सालवी निवासी भैसडा कला तहसील गिर्वा हाल निवासी दक्षिणी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
5. सुश्री लक्की सालवी पुत्री स्व श्री मदनलाल जी सालवी निवासी भैसडा कला तहसील गिर्वा हाल निवासी दक्षिणी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
6. सुश्री छाया सालवी पुत्री स्व श्री मदनलाल जी सालवी निवासी भैसडा कला तहसील गिर्वा हाल निवासी दक्षिणी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

— **अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम
नामान्तरण संख्या 1289 दिनांक 07.08.2021 तहसीलदार गिर्वा

उपस्थित : श्री रामलाल मेघवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री कल्पित जैन, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 16-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम भैसडाकला पटवार मण्डल भैसडा कला तहसील गिर्वा के खाता संख्या नया 158 जिसके आराजी

जिला कलक्टर
उदयपुर

नम्बर 2071 से 2075, 2077, 2080 कुल किता 7 रकबा 0.3000 हे. कृषि भूमि स्थित है जिसमे खातेदार धापूबाई पत्नी भेरा जाति सालवी अंकित है जो कि अपीलाण्ट की मां व दादी है। खाता संख्या 422 आराजी संख्या 1837, 1838, 1839, 1840 कुल किता 04 रकबा 0.5000 हेक्टेयर स्थित है जिसमें जाति मेघवाल अंकित कर दी गई है। खाता संख्या 159 आराजी नम्बर 1732 से 1734, 1784 कुल किता 04 रकबा 0.3600 हेक्टेयर में अपीलाण्ट की जाति सालवी होने के बावजूद मेघवाल अंकित कर दी गई है। विरासत का नामान्तरण खोलते वक्त पटवारी हल्का द्वारा कम्प्यूटर में टाईप के दौरान सालवी के बजाय जाति मेघवाल अंकित कर दी गई है जबकि उसी जमाबन्दी में खाता संख्या में परिवार के अन्य सदस्य की जाति सालवी अंकित हैं। उसके बावजूद पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण में जाति सालवी की बजाय मेघवाल अंकित कर दी गयी है जिससे उक्त नामान्तरण निरस्त किया जाकर पुनः जाति मेघवाल की बजाय सालवी अंकित करायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि विरासत का नामांतरकरण खोलते समय पटवारी द्वारा अपीलाण्ट की जाति सालवी के बजाय मेघवाल अंकित कर दी गई जबकि उसी जमाबन्दी में परिवार के अन्य सदस्यों की जाति सालवी अंकित है। अपीलाण्ट के मुलपुरूष स्व. भेराजी की पत्नी स्व. धापुबाई सावली का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.05.2018 का बना हुआ है, जो कि विरासत का नामांतरकरण खोलते वक्त पटवारी हल्का को दिया गया थां उसमें भी स्पष्ट रूप से धापुबाई सालवी दर्ज हे एवं स्व. भेरा जी का मुत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 21.05.1999 का बना हुआ है, जिसमें भी जाति सालवी दर्ज है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा मानबुझकर मेघवाल जाती दर्ज कर दी तथा जो सजरा दिया गया, उसमें भी सजरा बनाते हुए जाति का अंकन सालवी का है। पटवारी हल्का ने तहसीलदार के समक्ष जो नामांतरकरण प्रस्तुत किया उसमें जाति मेघवाल अंकित कर दी गई और तहसीलदार गिर्वा द्वारा उक्त नामांतरकरण स्वीकृत कर देने से जमाबन्दी में नाम मेघवाल दर्ज हो गया है जो कि न्यायहित में हटवाया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एंव मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में भी जाति सालवी अंकित है। नामांतरकरण संख्या 1289 दिनांक 07.08.2021 को स्वीकृत किया गया है, वह एवइनिश्युबोईड है अर्थात प्रारंभ से ही शून्य है। ऐसे नामांतरकरण खुलने से अन्य भारी विसंगतिया उत्पन्न हो जायेगी, जिससे अपीलाण्ट को काफी हानि उठानी पड़ रही है तथा एक ही जमाबन्दी में अलग अलग जातियां अंकित होने से अपीलाण्ट को काफी कठिनाई का उत्पन्न हो गई है। तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर का नामांतरकरण निर्णय नियम विरूद्ध पारित किया गया है एवं जानबुझकर अनदेखी की गई है। जो चीज स्पष्ट

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 39/24 राजस्व
शम्भूलाल बनाम सरकार
GCMS No. 2024/349

रूप से आंखों के सामने दिखाई दे रही है उसके परे जाकर नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामांतरकरण संख्या 1289 दिनांक 07.08.2021 को न्यायहित में निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में जाति मेघवाल के बजाय सालवी दर्ज किये जाने का आदेश बक्षया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि नामांतरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट का नाम सालवी के बजाय मेघवाल अंकित हो जाना मानवीय भूल है। यदि अपीलाण्ट का नाम मेघवाल के बजाय सालवी अंकित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की प्रति अनुसार **राजस्व ग्राम भेसड़ाकला, तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 1732 से 1734, 1784 रकबा 0.3600 हैक्टयेर नंदलाल प्रकाश पिता भेरा धापुबाई वेबा भेरा 3/16 हि.ब. भावना ना.बालिग लक्की ना.बालिग छाया ना. बालिग पिता मदनलाल मंजुदेवी पत्नी स्व. मदनलाल ना.बा.ब.वि. माता मन्जुदेवी 1/16 हि.ब. हिरा पिता बिरमा 1/4 चुन्नीलाल परसराम लेहरीबाई बेनकीबाई कुसुम पिता नारायण हीराबाई पत्नी स्व. नारायण 1/4 हि.ब. सालवी (बलाई) 3/4 हि.ब**. सुखलाल पिता लोगर मेघवाल 1/4 सा.देह खातेदार ना.स. 629, 674, 675 दर्ज रिकार्ड है। धापूबाई की मृत्यु के पश्चात् नामांतरकरण के दौरान सालवी के स्थान पर मेघवाल अंकित किया जाना नामांतरकरण संख्या 1289 दिनांक 07.08.2021 से प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नामांतकरण संख्या 1289 दिनांक 07.08.2021 में अपीलाण्ट की जाति अंकन संबंधी प्रविष्टि की पुनः जांच कर उपलब्ध राजस्व अभिलेख/रिकार्ड, दस्तावेज के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर